

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-उनि/सशि/मु.म.बजट घोषणा/डिजिटल लिटरसी/2015-16/29

दिनांक- 11.06.2019

समस्त संस्था प्रधान

अति-आवश्यक

राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय


विषय:- विद्यालयों में पदस्थापित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा ईग्नू के माध्यम से विभिन्न पाठ्यक्रम यथा CIC/CIT/BCA/MCA/RS-CIT and course on computer Concept (CCC) कोर्स इत्यादि के शुल्क पुनर्भरण के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र दिनांक 07.09.2015 एवं 23.06.2016 द्वारा डिजिटल लिटरसी कार्यक्रम के तहत समस्त आयुवर्ग के समस्त शिक्षकों एवं मंत्रालयिक कार्मिकों को RKCL से RS-CIT कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं जो कार्मिक/शिक्षक प्रशिक्षण में भाग नहीं लेगे उनकी सेवाएं संतोषप्रद नहीं मानते हुए वेतनवृद्धि रोके जाने पर विचार करने बाबत निर्देश दिए गए थे। ध्यातव्य है कि इस कम्प्यूटर प्रशिक्षण की शुल्क का पुनर्भरण राज्य सरकार के नियमानुसार ही देय है। यदि किसी कार्मिक ने अन्य सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान से समकक्ष अथवा उच्च स्तरीय कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो उसे आरकेसीएल से कम्प्यूटर प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता नहीं है।

विद्यालयों में पदस्थापित कार्मिक/अधिकारी द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रम यथा CIC/CIT/BCA/MCA(IGNU), RS-CIT(RKCL) And Course on Computer Concept (CCC) (Nielit) कोर्स इत्यादि के शुल्क पुनर्भरण (वर्तमान एवं लम्बित) व प्रोत्साहन राशि का नियमानुसार भुगतान पदस्थापन स्थल से किया जाना है। इस संदर्भ में आपके विद्यालय के जिन शिक्षकों/कार्मिकों ने कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है उनकी प्रविष्टि शाला दर्पण के प्रपत्र 10 में करें। शाला दर्पण पर प्रविष्टि के अभाव में कम्प्यूटर प्रशिक्षण शुल्क का पुनर्भरण नहीं किया जायेगा। विद्यालय की समेकित सूचना निर्धारित प्रपत्र में हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में दिनांक 19.06.2019 तक आवश्यक रूप से कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय को निर्धारित प्रपत्र में सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में उपलब्ध करावाएं। ताकि तदनुसार राज्य सरकार से बजट स्वीकृत करवाया जाए।


क्र. सं.	विद्यालय का नाम एवं आई. डी.	कार्मिक का नाम एवं आई. डी.	कार्मिकों की संख्या जिन्हें पुनर्भरण किया जाना है					CCC / NIELIT	पुनर्भरण हेतु कुल राशि
			CIC	CIT	BCA	MCA	RS-CIT		

उक्त क्रम में उन्हीं पाठ्यक्रमों के लिए बजट की मांग की जाए जिनकी स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा पुनर्भरण हेतु मान्य की गई है। निर्धारित तिथि तक समेकित सूचना उपलब्ध नहीं करवाने की स्थिति में यदि कोई कार्मिक पुनर्भरण से वंचित रह जाता है तो इसका संपूर्ण दायित्व आपका होगा। पुनर्भरण के लिए जिले की समेकित सूचना भेजने के साथ यह प्रमाण-पत्र जारी करें कि सूची में वर्णित प्रत्येक कार्मिक की कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त कर उत्तीर्ण करने की प्रविष्टि शाला दर्पण के प्रपत्र-10 में कर दी गई है।


उपनिदेशक
समाजशिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

1. समस्त मंडल संयुक्त निदेशक, राजस्थान।
2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, राजस्थान।
3. प्रबंधन निदेशक, आर.के.सी.एल., जयपुर।
4. लेखाधिकारी, बजट अनुभाग, कार्यालय हाजा
5. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट/शाला दर्पण पर अपलोड करने बाबत।
6. रक्षित पत्रावली।


उपनिदेशक
समाजशिक्षा, राजस्थान
बीकानेर